न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो, (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) / (ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 94 वर्ष 2016

आवेदक–गुलाब मांझी
ग्राम – गांगपुर टोला–+++
थाना – महुंआटांड जिला–बोकारो

क्रेता– श्रीमती पानो देवी
ग्राम – गांगपुर टोला– +++
थाना – महुंआटांड जिला– बोकारो

क्र0 तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख व साथ।
01	02	03

आदेश

5/07/17 यह वाद आवेदक गुलाब मांझी पिता स्व0 चरण मांझी निवासी ग्राम गांगपुर थाना मंहुआटांड जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
गांगपुर	58	07	11	0.17 डी0	0.17 डी0	कृषि योग्य
			12	1.30 डी0	0.17 डी0	कृषि योग्य
					कुल 34 डी0	

को वे मकान बनाने हेतु मो0 1,45,826/– (एक लाख पैतालीस हजार आठ सौ छब्बीस) रूपये में क्रेता पानो देवी पति अकलू मांझी ग्राम गांगपुर थाना –महुंआटांड जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/ के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 558 रा0, दिनांक 18.10..2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1209 दिनांक 30.12.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों ग्राम–गांगपुर एवं थाना–मंहुआटॉड जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बरजुन मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी वैजुन मांझी वगैरह के नाम से पंजी–II में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि आपसी बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत से बिकेता का संबंध परदादा का है। बिकी की जानेवाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत के आता है एवं बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज बरजुन मांझी वगैरह के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी बैजुन मांझी वगैरह के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– बरजुन मांझी वगैरह के नाम सर्व खतियान की छायाप्रति, बैजुन मांझी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– शपथ प्रमाण पत्र एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक गुलाब मांझी पिता स्व0 चरण मांझी– ग्राम गांगपुर थाना मंहुआटॉड जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
कण्डेर 58	07	11	0.17 डी0	0.17 डी0	रास्ता	नीज बिकेता	नीज बिकेता	नीज बिकेता
		12	1.30 डी0	0.17 डी0	रास्ता	नीज बिकेता	नीज बिकेता	नीज बिकेता
34 (चौंतीस) डिसमिल मात्र।								

मो0 1,53,136/– (एक लाख तिरपन हजार एक सौ छत्तीस) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–पानो देवी पति अकलु मांझी ग्राम गांगपुर थाना –मंहुआटॉड जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

15/03/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

15/03/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 06:57:33 -08:00
Location: 192.168.1.35